



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाइट : www.bsea.bihar.gov.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-29/2022 1277 /पटना, दिनांक 13/07/2022
प्रेषक,

पुरुषोत्तम पासवान,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी,
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन में प्रतीक आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा पृच्छा की जा रही है कि प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए 23 (तेईस) निर्वाचन प्रतीकों एवं सुरक्षित 11 (ग्यारह) निर्वाचन प्रतीकों से अधिक विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की स्थिति में प्रतीक आवंटन कैसे किया जाय।

इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित क्रमशः दो-दो स्थानों के आरक्षण का प्रावधान अपवर्जित है। फलस्वरूप “सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” में विनिर्दिष्ट उक्त वर्गों के लिए निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों को प्रबंधकारिणी समिति के सभी वर्गों के लिए समझा जाय। विदित हो कि प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-459 दिनांक 06.06.2017 द्वारा इस संबंध में पूर्व से ही निर्देश निर्गत हैं।

“निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” में क्रमशः सामान्य कोटि, अनुसूचित जाति/ जनजाति कोटि, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अति पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों की एक क्रमवार समेकित सूची निर्वाचन पदाधिकारी तैयार कर लेंगे तथा उपर्युक्त क्रमानुसार निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन करेंगे। निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन में यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आवंटित किया जाने वाला निर्वाचन प्रतीक किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह से मिलता-जुलता नहीं हो।

विश्वासभाजन,

(पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक: 1277 /पटना, दिनांक 13/07/2022

प्रतिलिपि: प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), रोसड़ा, समस्तीपुर को उनके पत्रांक 100/ निर्वा० दिनांक 12.07.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।